निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ 1944 (श0)

(सं0 पटना 353) पटना, वृहस्पतिवार, 09 जून 2022

सं0सं0–नि0मु0ले0(क्रय)–02/2015(खण्ड)–5300/वि0
वित्त विभाग

संकल्प
07 जून 2022

विषयः– सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के आधुनिकीकरण हेतु प्रेस में रक्षित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण व अन्य रद्दी सामग्रियों के बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली–2005 के नियम– 131ज्ञ(ड.) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में ।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना की स्थापना वर्ष 1912 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था । इस प्रेस में सरकार के महत्वपूर्ण प्रपत्रों/गजट एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेखों का मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य किया जाता रहा है । वर्तमान में इस प्रेस की एक शाखा राजभवन परिसर में भी कार्यरत है, जिसके द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के दैनिक कार्यों के मुद्रण संबंधी कार्य किए जाते हैं ।

2. गुलजारबाग प्रेस के आधुनिकीकरण के क्रम में यह आवश्यक है कि उक्त संस्थान में पूर्व से अधिष्ठापित मशीनों/उपकरणों/उपस्कर एवं अन्य रद्दी सामग्रियों, जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं रह गया है, को कंडम घोषित किया जाय और निलामी प्रक्रिया किसी प्रतिष्ठित लोक उपक्रम के द्वारा ई– निलामी के माध्यम से किया जाय ।

3. बिहार वित्त नियमावली के नियम– 142–147 के अंतर्गत सरकारी संस्थानों के अंतर्गत रद्दी वस्तुओं की नीलामी के लिये प्रक्रियाएँ एवं शर्तें निर्धारित की गई हैं । बिहार वित्त नियमावली–142 के आलोक में गुलजारबाग प्रेस के अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों को कंडम घोषित करने हेतु विभागीय स्तर से एक समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति द्वारा संस्थान के मशीनों/उपकरणों को कंडम घोषित किये जाने के पश्चात् इसके नीलामी की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

4. उक्त समिति द्वारा संस्थान के स्क्रैप एवं मशीनों को कंडम घोषित किये जाने के उपरांत निलामी की प्रक्रिया हेतु **Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम)** को **बिहार वित्त संशोधन नियमावली–2005 के नियम– 131ज्ञ(ड.)** के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया गया है । MSTC द्वारा निम्नांकित प्रक्रियानुसार ई–निलामी की कार्रवाई की जायेगी :–

I. समिति द्वारा पुराने मशीनों एवं उपकरणों को कंडम घोषित किये जाने के बाद प्राधिकृत पदाधिकारी, जिन्हें विक्रेता पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा द्वारा अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों की सूची एम०एस०टी०सी० लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी । इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा ।

II. इस हेतु वित्त विभाग एम०एस०टी०सी० लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ एकरारनामा(Agreement) करेगी, जिसके तहत एम०एस०टी०सी० लिमिटेड, वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी के लिए सीधे तौर पर Selling Agent होगा ।

III. एम०एस०टी०सी० लिमिटेड की ई–नीलामी की प्रक्रिया एम०एस०टी०सी० के वेबसाईट से किया जाएगा एवं ई–नीलामी हेतु निविदा की सूचना एवं प्रचार– प्रसार भी एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के द्वारा की जायेगी।

IV. एम०एस०टी०सी० लिमिटेड अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों की विस्तृत सूची बनाकर 21 दिन पूर्व अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगी ।

V. प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा सभी अनुपयोगी मशीनों/उपकरणों का अधिकतम दर (आरक्षित मूल्य) तय किया जायेगा जिसे एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाईट पर ई–नीलामी हेतु 02 दिन पूर्व अपलोड कर दिया जायेगा ।

VI. ई–नीलामी के उपरान्त ई–नीलामी का परिणाम एम०एस०टी०सी० लिमिटेड के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा । इसके पश्चात् एम०एस०टी०सी० लिमिटेड नियमानुसार चयनित बीडर से EMO/Security Deposite प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी के वास्ते प्राप्त करेगा तथा संबंधित खरीदार के साथ करार करेगा एवं तीन प्रतिशत सेवा शुल्क एवं अनुमान्य जी०एस०टी० काटते हुए विक्रय मूल्य को संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को सौप देगा, जिसे प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी द्वारा सरकारी कोष में जमा कराया जायेगा । अगर संबंधित प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी GST में निबंधित नहीं हो तो एम०एस०टी०सी० लिमिटेड नियमानुसार निर्धारित दर से GST एवं सेवा शुल्क काट कर शेष राशि प्राधिकृत विक्रेता पदाधिकारी को हस्तांतरित कर देगा, जिसे वे सरकारी कोष में जमा कर देंगे ।

VII. एम०एस०टी०सी० लिमिटेड चयनित बीडर को विक्रेता पदाधिकारी की ओर से Delivery Order निर्गत करेगा ।

VIII. यदि ई–नीलामी में कोई प्रतिभागी भाग नहीं लेता है तो एम०एस०टी०सी० लिमिटेड द्वारा कोई राशि नहीं ली जाएगी ।

5. इस पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 353-571+10-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in